दिनांक 13.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 13/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने भीड़ द्वारा कारित हिंसा एवं हत्या किये जाने की घटनाओं (Incidents of violence and lynching by mobs) के रोकथाम के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देश

श्री मुकुल गोयल पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपदों को भीड़ द्वारा कारित हिंसा एवं हत्या किये जाने की घटनाओं (Incidents of violence and lynching by mobs) की रोकथाम के सम्बन्ध में नोड्ल अधिकारी नामित करने एवं अभियोगो की विवेचनाओं आदि के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत परिपत्र/निर्देशों का कड़ाई से प्रभावी अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

भीड़ द्वारा कारित हिंसा एवं हत्या की घटनाए जघन्य अपराध हैं। अतिरिक्त सतर्कता एवं मिथ्या अवधारणाओं के आधार पर व्यक्तियों के किसी समूह अथवा भीड़ द्वारा कानून का स्वयं पालन कराये जाने पर (Vigilantism) किसी व्यक्ति के विरूद्ध हिंसात्मक कार्यवाही करना विधि के अन्तर्गत पूर्णतया अक्षम्य एवं दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार की प्रत्येक घटना एवं ऐसी किसी भी घटना को उकसाने वाली दुष्प्रवृत्ति को रोकना सभी कानून प्रवर्तन अभिकरणों (Law Enforcement Agencies) का प्रमुख कर्तव्य है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पूर्व में निर्गत परिपत्र/निर्देश के अनुक्रम में भीड़ द्वारा कारित हिंसा एवं हत्या किये जाने के प्रभावी रोकथाम एवं कार्यवाही के निमित्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त को अपने निकट पर्यवेक्षण में मुख्यतः निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने के निर्देश दिये गये हैः–

- विगत में भीड़ द्वारा कारित हिंसा/हत्या (Incidents of violence and lynching by mobs) की घटनाओं का आकलन कर संवेदनशील स्थानों का चिन्हिकरण करते हुए अतिरिक्त सजगता के साथ प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अविलम्ब विधि सम्मत कठोर कार्यवाही की जाय।

- चिन्हित स्थानों पर अभिसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय करते हुए प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग की कार्यवाही करायी जाय।
- सोशल मीडिया पर उक्त के सम्बन्ध में फैलाई जा रही अफवाहों का त्वरित रूप से खण्डन किया जाय। सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले अफवाहों को रोकने के लिए सांभ्रान्त व्यक्तियों, जिम्मेदार नागरिकों एवं डिजिटल वालिन्टियर्स का सक्रिय सहयोग लिया जाय।
- इस प्रकार की घटना आदि को बढ़ावा देने वाले आपत्तिजनक संदेशों तथा वीडियों आदि को प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भादवि की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कठोर कार्यवाही की जाय।
- नोड्ल अधिकारी भीड़ द्वारा की गयी हिंसा/हत्या से पीड़ित परिवार के सदस्यों को उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना–2014 (संशोधन दिनांक 07.06.2016) के अन्तर्गत अनुमन्य आर्थिक क्षतिपूर्ति आदि दिलाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **12 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त बुलेरो गाड़ी(बिना नम्बर की)**
- **04 विभिन्न नम्बरों के नम्बर प्लेट**
- **02 फर्जी आईडी कार्ड**
- **06 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 07 जीवित, 06 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 13.09.2021 को थाना कोतवाली उरई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करमेर हाइवे ओवर ब्रिज के सर्विस लेने से पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्तों 1–प्रद्युम्न उर्फ संटी 2–शिवम 3–रिजवान उर्फ वुन्दे 4–आसिक 5–गुड्डू उर्फ अंसार 6–ललित उर्फ वउवा को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 12 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त बुलेरो वाहन(बिना नम्बर की), 04 विभिन्न नम्बरों के नम्बर प्लेट, 02 फर्जी आईडी कार्ड, 06 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 07 जीवित, 06 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रिजवान उर्फ बुन्दे के विरूद्ध जनपद जालौन के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या, एन0डी0पी0एस0एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि 17 अभियोग पंजीकृत है। दिनॉकः05.09.2021 को थाना कोतवाली उरई क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा लूट की घटना कारित की गयी गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—प्रद्युम्न उर्फ संटी निवासी माखापुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।

2—शिवम निवासी हरारा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

3—रिजवान उर्फ वुन्दे निवासी अकबरपुर थाना अयाना जनपद औरैया।

4—आसिक निवासी रामगंज कहयाना थाना कालपी जनपद जालौन, वर्तमान पता काशीराम कालोनी थाना कालपी जनपद जालौन।

5—गुड्डू उर्फ अंसार निवासी राजपुर थाना राजपुर जनपद कानपुद देहात।

6—ललित उर्फ वउवा निवासी माखापुर थाना सट्टी जनपद शाहजहॉपुर जनपद कानपुर देहात।

<u>बरामदगी</u>

1—12 हजार रूपये नगद।

2—घटना में प्रयुक्त बुलेरो वाहन(बिना नम्बर की)।

3—04 विभिन्न नम्बरों के नम्बर प्लेट।

4—02 फर्जी आईडी कार्ड।

5—06 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 07 जीवित, 06 खोखा कारतूस

<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना पुवायाँ</u>

- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 25 हजार रूपये नगद**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित 03 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 13.09.2021 को थाना पुवायाँ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बड़गांव आरएमएल स्कूल के पास से पुलिस कार्यवाही में 05 शातिर

अभियुक्तों 1—रऊफ 2—दिलशाद उर्फ रोजा 3—मैसर 4—सलीम उर्फ मोहम्मद 5—रहीश को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, चोरी के 25 हजार रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित 03 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना पुवायाँ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की कई घटनाए कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पुवायाँ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सोने—चाँदी के आभूषण, रूपया आदि उक्त चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पुवायाँ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रऊफ निवासी चमरऊआ गौटिया थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर।

2—दिलशाद उर्फ रोजा निवासी चमरऊआ गौटिया थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर।

3—मैसर निवासी चमरऊआ गौटिया थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर।

4—सलीम उर्फ मोहम्मद निवासी दिवाली थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।

5—रहीश निवासी खेड़ा बसेड़ा थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर, हालपता चमरऊआ गौटिया थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—लगभग 01 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—चोरी के 25 हजार रूपये नगद।

3—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित 03 खोखा कारतूस आदि।

जनपद बस्ती/थाना दुबौलिया

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **48 टाबर बैट्री, 02 बैट्री चार्जर**
- **01 कार बरामद**

दिनांक 13.09.2021 को थाना दुबौलिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छावनी रामजानकी मार्ग तिराहे से 02 अभियुक्तों 1—मन्दीप 2—विकास को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 48 टाबर बैट्री, 02 बैट्री चार्जर, 01 कार बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः17.08.2021 को थाना दुबौलिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा वोडा फोन टावर से चोरी की घटना कारित की गयी गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दुबौलिया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैट्री व चार्जर उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना दुबौलिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मन्दीप निवासी टाडा सूफी थाना रूदौली जनपद अयोध्या।

2—विकास निवासी रंजीतपुर थाना रौनाही जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1—48 टाबर बैट्री।

2— 02 बैट्री चार्जर।

3— 01 कार।

जनपद अमेठी/थाना अमेठी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 04 हजार 900 रूपये नगद**
- **चोरी की 03 टीवी, 01 गैस सिलेण्डर, 01 समर सेवल, 03 पंखा**
- **01 लैपटाप बरामद**

दिनांक 13.09.2021 को थाना अमेठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अन्तू बाईपास के पास से 05 अभियुक्तों 1–संदीप 2–शिवा 3–लवकुश 4–नीलेश 5–सचिन कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 04 हजार 900 रूपये नगद, चोरी की 03 टीवी, 01 गैस सिलेण्डर, 01 समर सेवल, 03 पंखा, 01 लैपटाप बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना संग्रामपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना संग्रामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद नगद रूपये, टी0वी0, गैस सिलेण्डर, पंखा, लैपटाप उक्त चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अमेठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संदीप निवासी खेरोना थाना व जनपद अमेठी।

2–शिवा निवासी खेरोना थाना व जनपद अमेठी।

3–लवकुश निवासी खेरोना थाना व जनपद अमेठी।

4–नीलेश निवासी खेरोना थाना व जनपद अमेठी।

5–सचिन कुमार निवासी खेरोना थाना व जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–चोरी के 04 हजार 900 रूपये नगद।

2– चोरी की 03 टीवी।

3– 01 गैस सिलेण्डर।

4– 01 समर सेविल।

5– 03 पंखा।

6– 01 लैपटाप

जनपद औरैया/थाना बिधूना

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस**

दिनांक 12/13.09.2021 को थाना बिधूना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिधूना नदी तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सनी उर्फ सुनील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बेला पर पंजीकृत मु0अ0सं0–322/2020 धारा 392 भादवि व मु0अ0सं0–100/2021 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिधूना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सनी उर्फ सुनील निवासी कीरतपुर थाना बिधूना जनपद औरैया।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना कोतवाली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त पिन्टू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 464/2019 धारा 420/406 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पिन्टू निवासी लक्ष्मीनगर केलुहा पैगम्बरपुर बैरिया थाना अहियापुर जनपद मुजफ्फरनगर बिहार।

जनपद अमेठी/थाना अमेठी

- **01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **166 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 13.09.2021 को थाना अमेठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुगवांछ पावर हाउस के पास से मादक पदार्थ तस्कर विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 166 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अमेठी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विजय कुमार निवासी गुगवांछ तिवारी थाना अमेठी जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–166 ग्राम अवैध स्मैक।

एसटीएफः मुन्ना बजरंगी गैंग का शार्प शूटर व रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी दीपक वर्मा उर्फ गुड्डू एसटीएफ उ0प्र0 के साथ हुई साहसिक मुठभेड़ में घायल, इलाज के दौरान चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित।

दिनाक 13–03–2021 को उत्तर प्रदे"ा के जनपद वाराणसी के थाना चौबेपुर क्षेत्रान्तर्गत एस0टी0एफ0 टीम के साथ हुई साहसिक मुठभेड के दौरान मुन्ना बजरंगी गैंग का शार्प शूटर व रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी दीपक वर्मा उर्फ गुड्डू घायल हो गया, जिसको इलाज के दौरान चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।

अभियुक्त का विवरणः–

दीपक वर्मा उर्फ गुड्डू उर्फ छोटू पुत्र रमेश वर्मा उर्फ देवीनाथ वर्मा निवासी– डी–45/76, नई बस्ती रामापुरा, थाना लक्सा, जनपद वाराणसी।

बरामदगीः–

1– फैक्ट्रीमेड 09 एमएम पिस्टल –01 अदद।
2– कन्ट्रीमेड 0.38 बोर रिवाल्वर–01अदद।
3– भारी मात्रा में जिन्दा व खोखा कारतूस
4– बिना नंबर की अपाचे मोटरसाइकिल–01अदद।

मुठभेड का स्थान/दिनांकः–

जनपद वाराणसी के थाना चौबेपुर क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन रिंग रोड के सर्विसलेन पर, बरियासनपुर पुलिया के पास, दिनांक 13–09–2021 समय 13.45 बजे।

विदित है कि उ0प्र0 एस0टी0एफ0 द्वारा संगठित अपराधों, कुख्यात/पुरस्कार घोषित अपराधियों तथा उनके गिरोहों पर प्रभावी कार्यवाही हो रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 श्री शैलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में वाराणसी एसटीएफ इकाई द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 13–09–2021 को अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि दो अपराधी बिना नंबर की सफेद अपाचे मोटरसाइकिल से थाना चौबेपुर क्षेत्रान्तर्गत संदहा से शंकरपुर की तरफ जाने वाले हैं। यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़े जा सकते हैं।

उक्त सूचना पर वि"वास कर निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 वाराणसी की टीम विश्वस्त सूत्र द्वारा बताये गये स्थान बरियासनपुर निर्माणाधीन अण्डर पास के पास पहुॅचकर घेराबन्दी की गयी। इसी दौरान थोड़ी देर बार संदहा चौराहे की तरफ से एक सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति तेजी से आते हुये दिखायी दिये, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाईकिल सवार मोटरसाइकिल को अण्डरपास से अपोजिट सर्विस लेन निर्माणाधीन हाइवे की तरफ मोड़कर तेजी से वापस भागने लगे। लगभग 400 मीटर पीछा करने पर बारिश होने के कारण मोटरसाइकिल लड़खड़ा कर गिर गयी। मोटरसाइकिल चलाने वाला बदमाश नाला, झाड़, झाड़ी का फायदा उठाकर भाग गया तथा दूसरा बदमाश पुलिस टीम पर अन्धाधुन्ध फायर करने लगा। एस0टी0एफ0 टीम द्वारा अपने वाहन से उतर कर तीन तरफ से घेरने का प्रयास करते हुये उन्हें आत्मसर्पण के लिये कहा गया, परन्तु बदमाश जान मारने की नियत से एस0टी0एफ0 टीम पर फायर करता रहा। एस0टी0एफ0 टीम द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर आत्मरक्षार्थ फायर किया

गया, जिसमें से एक बदमाश घायल होकर गिर पड़ा। घायल बदमाश को तत्काल जिला चिकित्सालय वाराणसी भेजा गया, जहॉ चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृत बदमाश की िनाख्त दीपक वर्मा उर्फ गुड्डू उर्फ छोटू पुत्र रमेश वर्मा उर्फ देवीनाथ वर्मा निवासी—डी—45/76 नई बस्ती रामापुरा, थाना लक्सा जनपद वाराणसी के रूप में हुई है।

उपरोक्त दीपक वर्मा उर्फ गुड्डू उर्फ छोटू के संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि यह पूर्वांचल के कुख्यात माफिया मुन्ना बजरंगी का सबसे विश्वसनीय कुख्यात साथी था, परन्तु बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या हो जाने के उपरान्त इसके द्वारा अपना स्वयं का एक गैंग बनाकर सनसनखेज घटनाओं का अंजाम देकर पूर्वांचल के व्यापारियों एवं आमजन में दहशत का माहौल बना रखा था तथा लगातार हत्या, लूट एवं रंगदारी जैसे जघन्य घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इसका जनपद वाराणसी एवं इसके आस—पास के जनपदों में इतना दहशत था कि इसके भयवश कोई व्यक्ति जल्दी इसकी शिकायत करने का साहस नही कर पाता था। इसके द्वारा जनपद वाराणसी एवं आस—पास के जनपदों में दो दर्जन से अधिक जघन्य घटनाओं को अन्जाम दिया था।

इसके द्वारा वर्ष 2015 में जनपद वाराणसी के थाना लक्सा क्षेत्रान्तर्गत औरंगाबाद क्षेत्र के रहने वाले गोलू यादव की थाना लोहता क्षेत्र में अपने साथियों के साथ हत्या की घटना को अंजाम दिया था।

वर्ष 2015 में जनपद वाराणसी के थाना भेलूपुर क्षेत्रान्तर्गत सभासद शिव सेठ की हत्या अपने साथियों के साथ मिलकर सनसनीखेज तरीके से करके व्यापरियों में दहशत पैदा कर दिया गया था, जिससे जनपद वाराणसी में कई दिनों तक कानून—व्यवस्था की स्थिति बनी रही। इसके ऊपर जनपद वाराणसी से रूपये 1,00,000/— का पुरस्कार घोषित किया गया था।

<u>दीपक वर्मा उर्फ गुड्डू का अबतक प्राप्त अपराधिक इतिहास —</u>

क्रस	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	301/08	379/411भादवि	सिगरा	वाराणसी
02	197/11	392/411भादवि	सिगरा	वाराणसी
03	64/11	307भादवि	लक्सा	वाराणसी
04	66/11	3/25आर्म्स एक्ट	लक्सा	वाराणसी
05	67/11	41/411भादवि	लक्सा	वाराणसी
06	304/11	379/411भादवि	सिगरा	वाराणसी
07	116/11	392/411भादवि	चेतगंज	वाराणसी
08	60/15	307/504भादवि	लक्सा	वाराणसी
09	61/15	307/504भादवि	लक्सा	वाराणसी
10	349/15	302भादवि	भेलूपुर	वाराणसी
11	149/15	302/201भादवि	लोहता	वाराणसी।
12	429/16	147/148/149/302/307/120बी भादवि	नैनी	प्रयागराज
13	643/16	506 भादवि	भेलूपुर	वाराणसी
14	32/17	174एभादवि	लोहता	वाराणसी
15	26/17	384/506भादवि	लक्सा	वाराणसी

16	93 / 18	174ए भादवि	भेलूपुर	वाराणसी
17	95 / 18	392भादवि	मण्डुवाडीह	वाराणसी
18	125 / 18	392भादवि	सारनाथ	वाराणसी
19	339 / 18	392भादवि	कैण्ट	वाराणसी
20	308 / 18	411भादवि	लोहता	वाराणसी
21	306 / 18	307भादवि	लोहता	वाराणसी
22	132 / 18	307भादवि	सारनाथ	वाराणसी
23	113 / 18	302भादवि	दशाश्वमेध	वाराणसी
24	23 / 19	386 / 506 भादवि	लक्सा	वाराणसी
25	308 / 19	41 / 411 भादवि	रोहनिया	वाराणसी
26	03 / 20	174ए भादवि	लोहता	वाराणसी

उपरोक्त मुठभेड के संबंध में जनपद वाराणसी थाना चौबेपुर पर मु0अ0सं0 378 / 2021 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 379 / 2021 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———